

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :- मुसप्र/खुली बिक्री/2017/1142

दिनांक :- 10/3/17

आदेश

मंडल की 229 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27.01.2016 के बिन्दु संख्या 229.21 के बिन्दु सं. 3 के निर्णयानुसार आवासीय अभियन्ता-खण्ड-द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ के अधीन कुड़ी भगतासनी, योजना जोधपुर के ई.डब्ल्यू.एस. (जी+3) के 06, अल्प आय वर्ग (जी+3) के 21 एवं मध्यम आय वर्ग 'अ' (जी+3) के 100 कुल 127 के अधिशेष बहुमंजिलीय फ्लेटों का निस्तारण खुली बिक्री योजना के माध्यम से केवल नकद भुगतान पद्धति से (जहां है, जैसी स्थिति में) किए जाने की स्वीकृति निर्देशानुसार एतद्वारा प्रदान की जाती है। निस्तारित किए जाने वाले फ्लेटों का विवरण निम्नानुसार है :-

आय वर्ग एवं योजना	निस्तारित किए जाने वाले फ्लेटों का नम्बर	कुल फ्लेटों की संख्या
ई.डब्ल्यू.एस. (जी+3) कुड़ीभगतासनी योजना	1-F-13, 4-Y-23, 4-Y-137, 4-Y-140, 4-Y-156, 4-Y-211	6
अल्प आय वर्ग (जी+3) कुड़ीभगतासनी योजना	1-H-5, 1-H-8, 1-H-16, 1-H-31, 1-H-38, 1-H-54, 1-J-24, 1-K-21, 1-H-41, 1-H-43, 1-I-28, 1-J-10, 1-K-10, 1-H-44, 1-J-32, 1-K-29, 9-S-25, 9-S-42, 9-S-44, 9-T-14, 9-T-16,	21
मध्यम आय वर्ग 'अ' (जी+3) कुड़ीभगतासनी योजना	8-P-35, 8-P-7, 8-Q-5, 8-Q-11, 8-P-9, 8-P-10, 8-P-11, 8-P-28, 8-P-42, 8-P-44, 8-P-15, 8-Q-13, 8-P-14, 8-P-29, 8-P-31, 8-P-46, 8-P-47, 8-Q-14, 8-Q-15, 8-Q-16, 8-Q-29, 8-Q-45, 8-P-49, 8-P-51, 8-P-66, 8-P-67, 8-Q-49, 8-Q-66, 8-S-1, 8-S-20, 8-Q-51, 8-P-55, 8-Q-55, 8-R-06, 8-R-21, 8-R-23, 8-S-5, 8-P-56, 8-P-60, 8-P-76, 8-Q-74, 8-R-11, 8-R-12, 8-R-26, 8-S-11, 8-Q-59, 8-Q-63, 8-Q-77, 8-Q-78, 8-R-32, 8-S-29, 8-S-31, 8-S-30, 8-P-80, 8-P-62, 8-Q-64, 8-P-77, 8-P-63, 8-T-51, 8-U-04, 8-U-36, 8-U-49, 8-U-51, 8-T-7, 8-T-40, 8-T-72, 8-U-22, 8-U-37, 8-U-39, 8-U-54, 8-T-11, 8-T-43, 8-T-74, 8-T-75, 8-U-11, 8-U-27, 8-U-28, 8-U-41, 8-T-31, 8-T-46, 8-T-47, 8-T-61, 8-T-62, 8-T-77, 8-T-78, 8-U-13, 8-U-14, 8-U-15, 8-U-31, 8-U-32, 8-U-45, 8-U-46, 8-U-47, 8-U-63, 8-U-64, 8-U-77, 8-U-79, 8-R-31, 8-S-6, 8-T-73,	100
	कुल योग	127

अति० मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, जोधपुर/उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, जोधपुर निम्न शर्तों के आधार पर खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत केवल नकद भुगतान पद्धति में उक्त फ्लेटों का (जहां है, जैसी स्थिति में) निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

1. उक्त फ्लेटों (आवासों) के अलावा सम्बन्धित स्कीम में कोई अन्य फ्लेट्स खुली बिक्री हेतु रिक्त नहीं है।
2. उक्त फ्लेट्स (आवासों) का निस्तारण प्रचार-प्रसार के माध्यम से नियमानुसार किया जावे।
3. उक्त फ्लेटों (आवासों) के आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है।
4. किसी भी अन्य प्रकार से निस्तारण करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता अपने स्तर पर सुनिश्चित कर ले।
5. उक्त फ्लेटों (आवासों) में कोई विवाद/ न्यायिक विवाद न हो तथा नियमानुसार निरस्त किए गए हो।

उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त/अध्यक्ष महोदय से पैरा सं. 42/एन पर अनुमोदित है।


मुख्य संपदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आशयक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, रा.आ.मंडल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/उप वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता (मु.)/प्रथम/द्वितीय/निदेशक (विधि), रा.आ.मंडल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
6. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
7. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. प्रभारी नागरीक सेवा केन्द्र, मुख्यालय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक) राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेब-साईट पर अपलोड व सभी को ई-मेल करे।
10. रक्षित पत्रावली।


सम्पदा प्रबंधक (मु०)

अभिमानित
प्रमुख